RCDF
JAIPUR

OFFICE NOTE

यू.ओ.नोट

विषय : राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त परिवाद क्रमांक 05181693643268
संदर्भ : आपका यू.ओ.नोट क्रमांक 412 दिनांक 11.08.2018 एवं 513 दिनांक 31.10.2018

आपके उपरोक्त यू.ओ.नोट के द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर श्री ज्ञानेश कुमार जयपुर से प्राप्त शिकायत के संबंध में टिप्पणी निम्नानुसार है:–

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>शिकायत</th><th>वस्तुस्थिति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>दिनांक 06.05.2018 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर, जयपुर मे प्रकाशित खबर शीर्षक "नियम ताक पर रख कर सवाईमाधोपुर भीलवाडा डेयरी ने जयपुर डेयरी के क्षेत्र में की दूध सप्लाई"</td><td>इस सम्बन्ध मे लेख है कि दिनांक 26.09.2018 एवं 25.10.2018 को हुई प्रोग्रामिंग कमेटी की बैठक मे दुग्ध संघो द्वारा अन्य दुग्ध संघो के क्षेत्र मे विपणन के सम्बन्ध मे चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया जो निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th colspan="2">प्रोग्रामिंग कमेटी की बैठक दिनांक 26.09.2018 का निर्णय</th></tr>
<tr><td>Marketing outside the milk shed area</td><td>If, union intend to enter into the area of other milk union, 1st they should enter into tripartite agreement and pay royalty to other union as per earlier orders i.e. Rs. 1 per liter, otherwise stern action may be taken against them.

Slab System in Royalty : House has decided to develop a slab system in giving royalty for sale of milk and milk product in the milk shed of other milk union presently which is Rs. 1/- per ltr. After deliberations it was decided that it shall be Rs. 1/- per ltr upto 10000 Ltrs and Rs. 0.50 per ltr onwards.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="2">प्रोग्रामिंग कमेटी की बैठक दिनांक 25.10.2018 का निर्णय</th></tr>
<tr><td>Marketing outside the milk shed area</td><td>MDs of Milk Unions were advised not to encroach in milk shed of other milk unions. If, union intend to enter into the area of other milk union, 1st they should enter into tripartite agreement and pay royalty to other union as per earlier orders i.e. Rs. 1 per liter, otherwise stern/ disciplinary action may be taken against them. House decided to penalize the defaulter Milk Union to the tune of Rs. 1 lakh 1st time, Rs. 2 lakh 2nd time and Rs. 3 Lakh 3rd time and so on. The amount recovered will be given to affected milk union.</td></tr>
</table>
दिनांक 01.11.2018 को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 43645 – 45 दिनांक 01.11.2018 (प्रति सलंग्न) के द्वारा प्रबन्ध संचालक, सवाईमाधोपुर एवं भीलवाड़ा दुग्ध संघ को निर्देशित किया गया है कि यदि उनके दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का वितरण जयपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र मे किया जा रहा है तो इसे तुरन्त प्रभाव से बन्द करावें अथवा प्राग्रोमिंग कमेटी की बैठक दिनांक 26.09.2018 मे लिये गये निर्णयानुसार जयपुर दुग्ध संघ से उक्त सम्बन्ध मे अनुबन्ध कर विपणन की कार्यवाही करे। अन्यथा दिनांक 25.10.2018 को हुयी प्रोग्रामिंग कमेटी की मिटिंग मे लिये निर्णयानुसार सम्बन्धित दुग्ध संध व प्रबन्ध संचालक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।</td></tr>
</table>

P.A

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(एस.पी.एस. सिद्धू)
महाप्रबन्धक (विपणन)

महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन)
आरसीडीएफ/विपणन/एफ.6(1055)/2018–19/ 76
दिनांक : 01.11.2018

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड
RAJASTHAN CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION LIMITED

आरसीडीएफ / विपणन / एफ.6(904) 2018 / 43643-45 दिनांक: 01.11.2018

प्रबन्ध संचालक,
जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.,
भीलवाडा / सवाईमाधोपुर

विषयः दिनांक 06.05.2018 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर, जयपुर मे प्रकाशित खबर शीर्षक "नियम ताक पर रख कर सवाईमाधोपुर भीलवाडा डेयरी ने जयपुर डेयरी के क्षेत्र में की दूध सप्लाई"

महोदय,

उक्त प्रकाशित खबर मे उल्लेखित किया गया है कि सवाईमाधोपुर दुग्ध संघ एवं भीलवाडा दुग्ध संघ द्वारा जयपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र दौसा–लालसोट, महुआ, बालाजी, सिकंदरा, गीजगढ, सिकराय, मानपुर आदि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। दूध लीकेज या खराब आने पर उक्त क्षेत्र के उपभोक्ता जयपुर दुग्ध संघ मे शिकायत करते है जिसकी वजह से उपभोक्ताओं मे असमंजस की स्थिति बनी रहती है व ब्राण्ड इमेज भी प्रभावित होती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त क्षेत्र में यदि आपके संघ द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का वितरण किया जा रहा है तो इसे तुरन्त प्रभाव से बन्द करावें अथवा प्राग्रोमिंग कमेटी की बैठक दिनांक 26.09.2018 मे लिये गये निर्णयानुसार जयपुर दुग्ध संघ से उक्त सम्बन्ध मे अनुबन्ध कर विपणन की कार्यवाही करे। अन्यथा दिनांक 25.10.2018 को हुयी प्रोग्रामिंग कमेटी की मिटिंग मे लिये निर्णयानुसार सम्बन्धित दुग्ध संघ व प्रबन्ध संचालक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस.पी.एस. सिद्धू)
महा प्रबधक(विपणन)

प्रतिलिपि :
1. प्रबन्ध संचालक, जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जयपुर।

महाप्रबन्धक (विपणन)

"SARAS SANKUL", J.L.N. MARG, JAIPUR – 302 017.
Phone No.2702501-08: Telefax-2702208 : Website : www.sarasmilkfed.coop : E-mail: managermarketingrcdf@gmail.com
\\192.168.5.26\d\MKTG-09\Letter Union Hindi.doc